न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान जयसिंह आदि बनाम राजस्थान सरकार
वाद–पत्र संख्या – 17 / 2024
निर्णय दिनांक 6/08/25

1. जयसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति दरोगा निवासी बीघरान तहसील तारानगर जिला चूरू।
2. मुकेश सिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति दरोगा निवासी बीघरान तहसील तारानगर जिला चूरू।

वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट, 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

—::निर्णय::—

वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा बीघरान पटवार हल्का आनन्दसिंहपुरा तहसील तारानगर के खाता संख्या 230 के खसरा सं. 314 तादादी 3.7682 हैक्ट., ख.नं. 332 तादादी 0. 4805 हैक्ट., ख.नं. 338 तादादी 0.2529 हैक्ट.,ख.नं. 394 तादादी 0.9104 हैक्ट. एवं खाता संख्या 82 के ख. नं. 360 तादादी 6.3984 हैक्ट., ख.नं. 510 / 359 तादादी 0.5690 हैक्ट. के सहखातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादीगण का कथन है कि उक्त खसराजात की जमावंदी में वादीगण का नाम इंतकाल के समय कम्प्यूटर टाईप की गलती से वादी जयसिंह का नाम जैसा पुत्र अर्जनसिंह व मुकेश सिंह का नाम मुकेश पुत्र अर्जूनसिंह दर्ज हो गया जो गलत दर्ज हुआ है। जबकि वादीगण का सही नाम जयसिंह पुत्र अर्जुनसिंह व मुकेश सिंह पुत्र अर्जुनसिंह है। राजस्व रिकॉर्ड में भिन्नता होने के कारण वादीगण राज्य व केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जिससे वादीगण को काफी नुकसान हो रहा है। इसलिए वादीगण उक्त खसराजात की जमाबंदी में अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहता है। वादीगण का अन्य दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट में सही नाम जयसिंह, मुकेश सिंह पुत्रगण अर्जुनसिंह है। इसलिए वाद–पत्र पेश कर रहा है कि कृषि भूमि रोही मौजा बीघरान पटवार हल्का आनन्दसिंहपुरा तहसील तारानगर के खाता संख्या 230 व खाता सं. 82 में वादीगण का नाम जयसिंह, मुकेश सिंह पुत्रगण अर्जुनसिंह किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में तहसीलदार तारानगर के अनुसार वादीगण का नाम जयसिंह, मुकेश सिंह पुत्रगण अर्जुनसिंह व जैसा, मुकेश पुत्रगण अर्जनसिंह दोनो एक ही व्यक्ति के दो नाम है।

बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील वादीगण के कथनों का गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा संलग्न दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट में वादीगण का नाम जयसिंह, मुकेश सिंह पुत्रगण अर्जुनसिंह पाया जाता है।

वर्णित विवेचन से यह प्रकरण पुष्ट एवं प्रमाणिक पाया जाता है अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि रोही मौजा बीघरान पटवार हल्का आनन्दसिंहपुरा तहसील तारानगर के खाता संख्या 230 के खसरा सं. 314 तादादी 3.7682 हैक्ट., ख.नं. 332 तादादी 0.4805 हैक्ट., ख.नं. 338 तादादी 0.2529 हैक्ट.,ख.नं. 394 तादादी 0.9104 हैक्ट. एवं खाता संख्या 82 के ख.नं. 360 तादादी 6.3984 हैक्ट., ख.नं. 510 / 359 तादादी 0.5690 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादीगण का नाम **जैसा पुत्र अर्जनसिंह, मुकेश पुत्र अर्जूनसिंह Delete** कर इसके स्थान पर **जयसिंह पुत्र अर्जुनसिंह, मुकेश सिंह अर्जुनसिंह** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/08/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी